उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम,2005 की धारा–6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम,2005 की धारा 6 (5) में निम्नलिखित प्रावधान हैः–

''6 (5) जब कभी एक या अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिन राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिए व्यय की तत्समय कमी और/या राजस्व के संवर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी''।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के बजट अनुमानों में ₹441.84 करोड़ का राजस्व अधिशेष तथा ₹3357.59 करोड़ का राजकोषीय घाटा था।

माह दिसम्बर,2012 के प्रथम अनुपूरक का आकार ₹2464.12 करोड़ है जिसमें ₹922.11 करोड़ के व्यय का अनुमान राजस्व पक्ष में तथा ₹1543.01 करोड़ के अनुमान पूँजीगत पक्ष में है। इस प्रकार कुल ₹2465.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है जिसकी पूर्ति निम्नवत होना सम्भावित हैः–

राज्य के स्वयं के कर राजस्व की मद में वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुसार ₹5980.26 करोड़ के सापेक्ष कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार माह अक्टूबर,2012 तक ₹3657.46 करोड़ की प्राप्ति हो चुकी है जो कि आय–व्ययक का 61.15 प्रतिशत है। प्राप्ति की इस प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुमान से लगभग ₹290 करोड़ की अधिक प्राप्ति सम्भावित है। करेत्तर राजस्व की मद में आय–व्ययक के अनुमान के सापेक्ष वर्तमान प्रगति के दृष्टिगत लगभग ₹475 करोड़ की अधिक प्राप्ति होने का अनुमान है जिसका मुख्य कारण उ.प्र. से पेंशन मद में बजट अनुमान ₹500 करोड़ के सापेक्ष ₹1000 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। इस प्रकार स्वयं के राजस्व प्राप्ति की मद में वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के सापेक्ष लगभग ₹765 करोड़ अधिक प्राप्ति होना सम्भावित है। केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की मद में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत बजट अनुमान वर्ष 2012–13 के सापेक्ष ₹800 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्ति सम्भावित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रीय आयोजनागत योजनाआ (बाह्य सहायतित योजनाऐं एवं जे.एन.यू.आर.एम. इत्यादि) के अन्तर्गत बजट अनुमानों के सापेक्ष लगभग ₹500 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्ति होने की सम्भावना ह। वेतन की मद में आय–व्ययक में ₹6513.18 करोड़ का अनुमान था जिसके

सापेक्ष माह अक्टूबर,2012 तक ₹3779.48 करोड़ व्यय हो चुका है, जो कि बजट अनुमान का 58.03 प्रतिशत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में 4 माह का वेतन दिया जाना बाकी है। इस प्रकार राजस्व पक्ष में व्यय की उक्त प्रवृत्ति के दृष्टिगत पर्याप्त बचतें परिलक्षित हो रही हैं।

अनुपूरक मांग के कारण बढ़े हुए व्यय को आयोजनागत व आयोजनेत्तर व्यय में बचत एवं स्वयं के राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि तथा अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था कर पूरा किया जायेगा। अतः अनुपूरक मांगों का राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित नहीं हो रहा है।

(इन्दिरा हृदयेश)
वित्त मंत्री

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–6 (5) के अधीन अपेक्षित विवरण